



2026:AHC:126702

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 20059 वर्ष 2026

हकीम सिंह..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : महेश कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 5

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव कुमार

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री महेश कुमार त्रिपाठी को सुना और उत्तर प्रदेश राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक की ओर से केस अपराध संख्या-668 वर्ष 2011 में धारा 394, 411 भ०द०वि०, थाना-मौरानीपुर, जिला-झांसी के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को पहले वर्ष 2012 में इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। इसके बाद, आवेदक अपनी आजीविका कमाने के लिए दिल्ली चला गया, जिसके परिणामस्वरूप, उसे मामले का नोटिस नहीं मिला, इसलिए उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक एक गरीब व्यक्ति है और वह 08.04.2026 से जेल में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भविष्य में, वह नियमित रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग लेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया।
5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, सजा की गंभीरता, पक्षों के अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की **अनुमति** है।
6. आवेदक-हकीम सिंह, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी भी अपराध को नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जिसके उस पर आरोप लगाया गया है, या जिस पर उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(iv) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भ०द०वि० की धारा 229-ए (संबंधित धारा 269 बी.एन.एस.) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द०प्र०स०(संबंधित धारा 84



बी.एन.एस.एस.) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार, भ०द०वि० की धारा 174-ए (संबंधित धारा 209 बी.एन.एस.) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) द०प्र०स० की धारा 313 (संगत धारा 351 बी.एन.एस.एस.) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

7. किसी भी शर्त के उल्लंघन में, संबंधित न्यायालय आवेदक को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10 जून 2026

शुभम

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)